छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–14/2022/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 21/02/2025

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उप कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ – 492015।

विषयः– Diversion of 6.50 ha forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village-Surhi, Tehsil Narharpur, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh-reg

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक FC-II/IROCH-12/2022/953, दिनांक 03.10.2022।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–922/46, दिनांक 06.01.2025।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/– उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2 दिनांक 06.01.2025 के माध्यम से प्रेषित की गई है, जिसकी छायाप्रति उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में द्वितीय चरण की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (46 पृष्ठीय)।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ 5–14/2022/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 21/02/2025

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4.सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840
ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–922/ 46 रायपुर, दिनांक /12/2024
06/1/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of 6.50 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Surhi, Tehsil-Narharpur, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.**
– **पंजीयन कमांक – FP/CG/SCH/ 153248/ 2022**

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/ IROCH-12/ 2022/ 953 दिनांक 03.10.2022
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ./ विविध/ 2024/ 3858 दिनांक 24.12.2024

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र–1 द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर का कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र अंतर्गत 6.50 हे. वन भूमि ग्राम सुरही में **"संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय"** निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भ पत्र–2 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

S.No.	CONDITIONS	COMPLIANCE
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
ii	Compensatory Afforestation	
a)	Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out in equal area of 6.50 ha. revenue land in Durgukondal range at khasra no. 66 in East Bhanupratappur Forest Division Kanker at the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित क्षेत्र के बदले पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के तहसील दुर्गूकोंदल के ग्राम हिलचूर के खसरा नं. 66 में से 6.50 हे.में उपलब्ध कराई गयी राजस्व भूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 76,02,920/–रूपये ई–चालान जनरेटर कर आर.टी.जी. एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR 62024112015472067 दिनांक 20.11.2024 द्वारा कैम्पा खाता क्रमांक 1506462153248916 में जमा की गई है एवं उपलब्ध कराई गयी राजस्व भूमि पर किसी प्रकार का मोनोकल्चर का कार्य

S.No.	CONDITIONS	COMPLIANCE
		नहीं किया जायेगा। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
b)	The non-forest land which has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department	कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा जिला उ.ब.कांकेर का पत्र क्रमांक/770 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, जिला उ.ब. कांकेर को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम हिलचूर विकासखण्ड दुर्गूकोन्दल में चयनित वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया जाकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध/विविध/115–929/3040 दिनांक 26.12.2024 से अधिसूचित करने हेतु पृथक से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक–3)**
iii	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost escalation for works scheduled for subsequent years	वर्तमान में प्रचलित 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण के दर 11,69,680/–रूपये प्रति हेक्टेयर के अनुसार वृक्षारोपण की राशि ई–चालान जनरेट कर कैम्पा मद में जमा की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित (चिन्हित) राजस्व भूमि के सीमांकन के लिये पिल्हर्स लगाये जाने हेतु वन विभाग द्वारा राशि की मांग की जाती है तो मांग अनुसार राशि जमा करने के लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
iv	NPV	
a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.50 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in WP (C) No. 202/1995 and the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009, in this regard;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के पत्र दिनांक 28.03.2008 के निर्देशानुसार व्यपवर्तित राजस्व वन भूमि रकबा 6.50 हे. के लिए निर्धारित दर 9,57,780/–रूपये प्रति हेक्टर के मान से कुल राशि 62,25,570/– रूपये ई–चालान जनरेट कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR62024112015472067 दिनांक 20.11.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153248916 में जमा की गई है। पुष्टि हेतु ई–चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रकरण के विरूद्ध गैर वानिकी कार्य कार्य के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 6.50 हे. के लिए निर्धारित प्रत्याशा मूल्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्याशा मूल्य की प्रचलित राशि में संशोधन की जाती है तो अंतर की राशि राज्य सरकार या वन विभाग के द्वारा मांग की जाती है, तो प्रत्याशा मूल्य की अंतर की राशि को जमा करने के लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–6)**
v	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portai (https://parivesh.nic.in/),	परियोजना अंतर्गत विभाग द्वारा समस्त राशि को कैम्पा खाता में जमा की गई है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–7)**
vi	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the	विभाग द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय के पत्र दिनांक 29.1.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेघन नहीं किया जायेगा, जिसके लिए

S.No.	CONDITIONS	COMPLIANCE
	compliance report:	विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–8)**
vii	The State Govemment of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule-9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 में दी गई दिशा निर्देशों/अधिनियमों के पालन पश्चात् ही वन विभाग भूमि सौपने का आदेश जारी करेगा, जो विभाग को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–9)**
viii	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	परियोजना में प्रभावित वृक्षों की कटाई तभी की जावेगी, जब यह अपरिहार्य हो। पेड़ों की कटाई हेतु वन विभाग द्वारा विदोहन योजना के अनुसार राशि की मांग किये जाने पर विभाग राशि जमा करने के लिए वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–10)**
ix	The maximum number of trees in the proposal shall be kept intact. User Agency shall give an undertaking stating that plantation work will be carried out in the proposed area or school premises, as per availability of blank area;	परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र या स्कूल भवन के निर्माण के पश्चात् स्कूल परिसर में अधिक से अधिक उपलब्ध रिक्त भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–11)**
x	The proposal considered only site-specific projects on forest land, State Government must be find alternative land for non-site-specific future projects. The State Government shall submit a certificate from the side of the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh for non-availability of Private and Government land for such proposal. The same shall submit along with the Stage-1 Compliance report by the state Government.	उक्त शर्त के पालन में उपयुक्त एवं गैर वन मद की राजस्व भूमि का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्र./कले. /भू–अभि./अ.भू.अ/2022/1304 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रलय अटल नगर नवा रायपुर को लेख किया गया है, प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित की जावेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–12)**
xi	The concerned DFO will recheck the rare species of flora and fauna mentioned in the proposed area and shall submit a report in this regard certificate shall be submitted along with Stage-I compliance.	वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल वर्तमान स्थिति में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित है। **(संलग्नक–13)**
xii	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable,	परियोजना में आवश्यक होने पर पर्यावरण स्वीकृति ली जावेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–14)**
xiii	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government	प्रकरण में राज्य सरकार के बिना अनुमति पूर्व स्वीकृति के परियोजना के प्रस्तावित ले–आउट प्लान में परिवर्तन नहीं की जावेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–15)**
xiv	No labour camp shall be established on the forest land,	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं की जावेंगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–16)**
xv	Sufficient firewood, preferably the alternate	प्रस्तावित क्षेत्र में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन

S.No.	CONDITIONS	COMPLIANCE
	fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर काम करने वाले श्रमिक/कर्मचारियो को वैकल्पिक रूप से ईधन की आपूर्ति की जावेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–17)**
xvi	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer,	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि को चिन्हांकित कर वन विभाग के निर्देशन में परियोजना लागत पर घेराव किया जावेगा, जिसके लिये विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–18)**
xvii	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work:	परियोजना कार्य में वन भूमि पर कोई भी अतिरिक्त या नवीन मार्ग का निर्माण नहीं किया जावेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–19)**
xviii	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less,	व्यपवर्तन प्रकरण में लीज या परियोजना हेतु अधिरोपित शर्त विभाग को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–20)**
xix	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	शासन द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–21)**
xx	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	भारत सरकार के स्वीकृति के बिना व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग/ व्यक्ति/एजेंसियों को हस्तांतरित नहीं की जायेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–22)**
xxi	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	विभाग द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा–निर्देश के तहत कार्यवाही है तो विभाग को मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–23)**
xxii	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय , राज्य सरकार या नोडल अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत समय–समय पर वन के संरक्षण, वन्य जीवन और वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास के हित में निर्देश जारी की जाती है, तो उसे पालन करने के लिए विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–24)**
xxiii	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	कार्य पूर्णता रिपोर्ट को ई–पोटल (परिवेश) में अपलोड करने हेतु विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–25)**

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र–2 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित समस्त शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता से पूर्ण करा ली गई है। तदानुसार शासन स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर से अंतिम चरण स्वीकृति जारी करने हेतु लेख करने का अनुरोध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(पालन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में)

(प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–922/47

रायपुर, दिनांक /12/2024
06/01/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. **सहायक आयुक्त**, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़